राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
Rajasthan Marudhara Gramin Bank
(भारतसरकार, राज॰सरकार एवं एसबीआई का संयुक्त उपक्रम)
(Joint venture of Govt. of India, Govt. of Raj. & SBI)

प्रधान कार्यालय, जोधपुर
Head Office,Jodhpur
9th B Road, Sardarpura, 342003
www.rmgb.in
e-mail:pension@rmgb.in
Phone : 0291-2593131

दिनांक 19.03.2019

पेंशन प्रकोष्ठ

सेवानिवृत कार्मिकों हेतु नोटिस

सेवानिवृत कार्मिकों को बैंक अंशदान जमा कराने हेतु पंजीकृत डाक से संलग्न सूची में वर्णित कार्मिकों को अनुलग्नक ''ए'' के अनुसार नोटिस जारी किया गया हैं। सभी सेवानिवृत कार्मिक शाखा जोधपुर के खाता संख्या **83057428308** में राशि जमा कराके अनुलग्नक ''ब'' में सूचनाऐं अंकित कर पेंशन विभाग को यथाशीध्र प्रेषित करें जिससे उनको पेंशन का भुगतान नियमानुसार किया जा सकें।

महाप्रबन्धक

संलग्न :–

1. सेवानिवृत कार्मिकों की सूची
2. नोटिस का प्रारूप
3. अग्रेषण एवं वचन पत्र (सेवानिवृत कार्मिक के द्वारा भर कर भेजना)

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक

Rajasthan Marudhara Gramin Bank

(भारत सरकार, राज॰सरकार एवं एसबीआई का संयुक्त उपक्रम)

(Joint venture of Govt. of India, Govt. of Raj. & SBI)

प्रधान कार्यालय, जोधपुर

Head Office,Jodhpur

9th B Road, Sardarpura, 342003

www.rmgb.in

e-mail:pension@rmgb.in

Phone :0291-2593131Fax : 0291-2657764

पंजीकृत

क्रमांक पेंशन/

दिनांक 18.03.2019

As Per Enclosed List

प्रिय महोदय,

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2018 आपका विकल्प पत्र के क्रम में बैंक के भविष्य निधि अंशदान मय ब्याज राशि को जमा कराने बाबत नोटिस

विषयान्तर्गत राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2018 की विनियम संख्या 3(1)(क) के अनुसार आपका विकल्प पत्र प्राप्त हुआ हैं, जिसको रजिस्टर क्रमांक ------- में दर्ज किया गया है। इस विनियम में वर्णित शर्त के अनुसार आपको सेवानिवृति के समय प्राप्त बैंक भविष्य निधि अंशदान मय ब्याज की राशि दिनांक 18.6.2019 को या इससे पूर्व जमा कराने पर ही पेंशन प्राप्ति की पात्रता रहेगी ।

इस क्रम में आपको यह नोटिस देकर सूचित किया जाता है कि :–

1. भविष्य निधि कार्यालय ,जोधपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक अंशदान मय ब्याज के राशि रू. -------------- सेवानिवृति के समय आपको भुगतान की गई हैं। आपको पेंशन विनियम के प्रावधानों के तहत यथा शीघ्र पेंशन भुगतान करने के निर्णय के मद्देनजर बिना सत्यापन किये उक्त राशि की मांग (Provisional) की जा रही है। संदर्भित राशि दिनांक 18.6. 2019 को या इससे पूर्व राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन फण्ड ट्रस्ट के खाता संख्या **83057428308** में RTGS/NEFT/TRANSFER के माध्यम से जमा कर संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करे। यदि आपको उक्त राशि में कोई अन्तर दृष्टिगोचर हो रहा है तो राशि जमा करवाने से पूर्व पेंशन कक्ष से मिलान कर यह राशि जमा करवाये।
2. बि.सं. (1) मे वर्णित राशि में भविष्य में जॉच उपरान्त अन्तर दृष्टिगोचर होता हैं तो तद्नुसार राशि देय निकलने पर उसे भी जमा करानी होगी ।
3. आपको देय पेंशन की स्वीकृति राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2018 के प्रावधानों के अधीन रहेगी।
4. आपके द्वारा विकल्प पत्र के अलावा निम्न प्रपत्र दो प्रतियों में प्रेषित किये जाने हैं :–
   (1) फार्मेट – 6
   (2) फार्मेट – 7
   (3) फार्मेट – 9
   (4) फार्मेट – 10
   (5) फार्मेट – 11
   (6) फार्मेट – 13
   (7) Notification - Form VI - Application for Commutation of Pension without Medical Examination
   (8) Notification - Form VII – (After one year from the date of retirement) Application for Commutation of Pension subject to Medical Examination

नोट :– Notification - Form VI & VII सारांशीकरण लेने हेतु ही प्रस्तुत किये जायेगें।
यदि पूर्व में संदर्भित फॉरमेट प्रेषित कर दिये गये है तो दूरभाष पर रजिस्टर क्रमांक बता कर पुष्टि प्राप्त कर लेवे।

5. सभी सेवानिवृत कार्मिको की पेंशन पति/पत्नि के साथ संयुक्त रूप से खोले गये खाते मे जमा की जायेगी। फार्मेट–13 में वर्णित किया गया खाता संयुक्त रूप से होना चाहिये। यदि फार्मेट–13 में वर्णित किया गया खाता संयुक्त रूप से नही हैं तो संयुक्त करवा कर सूचित करें। जीवनसाथी में से किसी एक की मृत्यु की दशा में खाता पेंशनर के नाम से होगा।
6. आप अपनी एवं पति/पत्नि के साथ संयुक्त पासपोर्ट साईज 3 फोटो भी प्रेषित करे।
7. फार्मेट – 4 व 5 सेवानिवृत कार्यालय/शाखा के द्वारा प्रेषित किये जायेगे।

कृपया नोट करें संदर्भित राशि दिनांक 18.6.2019 को या इससे पूर्व बैंक के ऊपर वर्णित खाता संख्या में जमा नही होती हैं आप पेंशन प्राप्त करने के पात्र नही होंगे ।

भवदीय,

sd/-

(अनिल सौगानी)
महाप्रबन्धक

संलग्न : यथोक्त

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक

Rajasthan Marudhara Gramin Bank

(भारत सरकार, राज०सरकार एवं एसबीआई का संयुक्त उपक्रम)

(Joint venture of Govt. of India, Govt. of Raj. & SBI)

प्रधान कार्यालय, जोधपुर

Head Office,Jodhpur

9th B Road, Sardarpura, 342003

www.rmgb.in

e-mail:pension@rmgb.in

Phone :0291-2593131Fax : 0291-2657764

श्रीमान महाप्रबन्धक महोदय,
राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
तुलसी टॉवर, 9 वीं बी रोड,
सरदारपुरा ,जोधपुर (राज)

दिनांक

प्रिय महोदय,

विषय :- बैंक के भविष्य निधि अंशदान राशि मय ब्याज के जमा कराने बाबत

विषयान्तर्गत आपके पत्रांक .... दिनांक.......................... के क्रम में आज दिनांक .... को शाखा...................... के मार्फत RTGS/NEFT के माध्यम से राशि रू.......................(अक्षरे रू.......................................) खाता संख्या 83057428308 में जमा करा दी हैं जिसका UTR नं. .... हैं।

या

उक्त राशि दिनांक .... को मेरे बचत खाता संख्या .... को नामे कर शाखा .... के मार्फत खाता संख्या 83057428308 में अन्तरित कर दी हैं।

1. इस सम्बन्ध में मैं यह वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा सेवाकाल के दौरान बैंक भविष्य निधि अंशदान से कोई ऋण/अग्रिम नही लिया गया हैं तथा बैंक द्वारा मांग की गई राशि ही वास्तव में मेरे द्वारा प्राप्त की गई हैं। यदि भविष्य में उक्त राशि में किसी प्रकार के अन्तर होने के कारण कोई राशि बैंक को जमा करानी हैं तो मैं जमा करा दूंगा या बैक को यह अधिकार होगा कि मेरे या मेरे परिवार को देय पेंशन भुगतान में से उक्त राशि की वसूली कर सकता हैं।

2. मेरे द्वारा बैंक अंशदान से दिनांक .... को राशि रू0 .... का ऋण लिया था, जिसको ब्याज सहित जमा करवाने के लिए मैं सहमत हूँ।

3. वर्तमान में भविष्य निधि कार्यालय .... से PPO S.N.--------------- के द्वारा माह अप्रेल, 2018 से राशि रू......................(अक्षरे रू.......................................) प्राप्त हो रहे हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप PPO एवं पास बुक की प्रति संलग्न हैं।

4. मैं यह पुष्टि करता हूँ कि समामेलन के पूर्व मेरे सभी भविष्य निधि खातों में जमा बैंक अंशदान की राशि वर्तमान भविष्य निधि खाते में जमा हो गई थी या मेरे द्वारा अलग अलग खातों से राशि प्राप्त की गई है जो बैंक के मांग पत्र में उपरवर्णित राशि में सम्मिलित है अथवा मेरे भविष्य निधि खाता संख्या .... से राशि रू0 .... प्राप्त की गई थी, जिसको बैंक के मांग पत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त राशि भी मांग की गई राशि में सम्मिलित कर जमा करवाई जा रही है।

कृपया पेंशन विनियम अनुसार पेंशन भुगतान करवाने की स्वीकृति प्रदान करावें ।

भवदीय,

(
पुत्र श्री..)
पी.एफ. नं. ....
पी.पी.ओ. नं. ....
पता :- ....
....
....
मोबाईल नं. ....